

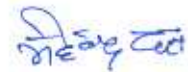
विषय:- मंत्रिपरिषद् की बैठक में प्रशासकिय सचिवों की उपस्थिति बारे हिदायतें ।

क्या सभी प्रशासकिय सचिव, हरियाणा सरकार, उपरोक्त विषय पर मन्त्री मण्डल अनुभाग के अशा क्रमांक 10/5/2003-2मंत्रिमण्डल, दिनांक 15.07.2003 की ओर ध्यान देने का कष्ट करेंगे ?

2. उपरोक्त के सम्बन्ध में स्पष्ट किया जाता है कि पूर्व में जारी की गई हिदायतों में निम्न संशोधन किया गया है:-

“कि क्रमांक (6) पर मुख्य मंत्री के उप प्रधान सचिव के स्थान पर अतिरिक्त प्रधान सचिव लिखा/पढ़ा जायें ।”

इसकी दृढ़ता से पालना कि जायें ।



(महेन्द्र दत्त)

अवर सचिव, मंत्रिमण्डल,
कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

सेवा में,

सभी प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार ।

अशा क्रमांक 10/11/2011-2मंत्रिमण्डल

दिनांक/7नवम्बर, 2014 ।